ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 177-180

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

उपेक्षित समुदाय के विविध आयाम, सरकारी योजनाएं और विज्ञापन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (तृतीय लिंग समुदाय के विशेष संदर्भ में)

1. डॉ0 संतोष गौतम
2. चैताली बाघ पाण्डेय

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, 2. शोध अध्येत्री– जनसंचार विभाग, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़–मथुरा (उ0प्र0), भारत

Received-18.05.2023, Revised-23.05.2023, Accepted-27.05.2023 E-mail: pandeychaitali05@gmail.com

सारांश: ***भारतिय संविधान प्रत्येक वर्ग, समुदाय व लिंग को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में विभिन्नताएं देखी जा सकती है। अनेक धर्म, जाति व संस्कृति को मानने वाले लोग भारत में निवास करते हैं। किंतु भारत में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक संविधान व्यवस्था होने के बावजूद कुछ सामाजिक बेड़िया व रूढ़िवादी मानसिकता देखने को मिलती है। इन्हे सामाजिक कुरीतियां भी कहा जा सकता है। देश में कुछ ऐसे समुदाय व वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इन सामाजिक उपेक्षाओं के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं जैसे– जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर या लिंग आधारित भेदभाव। जाति–धर्म, ऊंच–नीच, महिला–पुरुष व बेटा–बेटी से परे तृतीय लिंगी जनों के साथ होने वाला भेदभाव आज भी समाज में अपनी जड़ बनाए हुए हैं। यही वजह है कि आज भी इन समुदायों तक उनके संवैधानिक अधिकार नहीं पहुंच पाए हैं। अतः इन सामाजिक कुरीतियों की इस खाई को पाटने के लिये सरकार निरंतर ट्रांसजेंडर के विकास एवं उत्थान के लिए प्रयासरत है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।***

कुंजीभूत शब्द– उपेक्षित समाज, संवैधानिक अधिकार, सरकारी योजनाएं, विज्ञापन संचार, समुदाय, धर्म, जाति, समाजवादी।

सामाजिक व्यवस्था की रचना जाती–धर्म, ऊँच–नीच, महिला–पुरुष आदि से मिलकर होती है। समाज के विभिन्न वर्ण होते हैं। खासकर भारतीय समाज अपने आरंभिक काल से ही कई वर्गों में बटां हुआ है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास काल से ही लोगों में सामाजिक रूढिवादिता को देखा जा सकता है। इन्ही रूढिवादी विचारधारा से अनेकों सामाजिक कुरीतियों का जन्म हुआ। अतः 'भारत के इतिहास काल से ही समाज का एक हिस्सा किसी न किसी रूप में उपेक्षित होता रहा। इन उपेक्षित समुदायों को अपने अस्तित्व व अधिकारों के लिए हमेशा ही जूझना पड़ा।

समाज में अब भी कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, जिनके सामाजिक विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती हैद्य देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर सरकारी योजनाओं का निर्माण करती है। ताकि उपेक्षित व पिछड़े समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकें। समाज के ऐसे ही पिछड़े व उपेक्षित वर्ग में से एक है, ट्रांसजेंडर अर्थात तृतीय लिंगी समुदायद्य आजादी के इतने वर्षों बाद भी ट्रांसजेंडर की स्थिति समाज में दयनीय बनी हुई हैद्य वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किंतु इन योजनाओं के संदर्भ में संबंधित समुदाय के लोगों को कितनी जानकारी है यह जानना भी आवश्यक है। सरकार द्वारा निर्मित किसी भी योजनाओं की सफलता प्रभावी संचार पर निर्भर करती है। इन योजनाओं को सफल बनाने में प्रचार–प्रसार अर्थात विज्ञापन की भूमिका अहम रहती है।

1. उपेक्षित समाज के विविध आयाम (ट्रांसजेंडर समुदाय के विशेष संदर्भ में)– 'एक तृतीय लिंग बच्चे को बचपन से ही यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि वह अपने उम्र के अन्य बच्चों से अलग हैद्य भारत के प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे ही तृतीय लिंगी किशोर या बच्चे को शुरुआत से ही अपने ही परिवार, पास–पड़ोस व रिश्तेदारों के साथ–साथ पूरे समाज का उपहास, तिरस्कार व क्रोध का सामना करना पड़ता हैद्य इन समुदाय को उपेक्षित होने के विविध आयाम में देखे जा सकते हैं जैसे–

1. सामाजिक, 2. रूढ़िवादी मानसिकता, 3. अस्तित्व की चुनौती

2. ट्रांसजेंडर समुदाय एवं सरकारी योजनाएं– 'किशोर अवस्था की शुरुआत से ही तृतीय लिंग के युवा, अधिकतर मामलों में समाज द्वारा अपमानित होकर अपना घर छोड़ देते हैं। इसके बाद वो तृतीय लिंग की बस्तियों में जाकर किसी वरिष्ठ तृतीय लिंग, अर्थात "गुरु" के "चेले" बन जाते हैं। "गुरु–चेले" की यह परंपरा तृतीय लिंग के समुदाय में काफी पुरानी है।

साल 2014 तीसरे लिंग समुदाय के लिये एक नई सुबह की किरण बनकर बिखरी और नये युग के युवा विचार वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने नालसा द्वारा दायर मुकदमे में फैसला देते हुए ट्रांसजेंडर ,हिजरा , किन्नर, शिव–शक्ति इत्यादि समाज को एक नई पहचान दी और उन्हें तीसरे लिंग की संज्ञा प्रदान की।

वर्तमान में संचालित तीसरे लिंग समुदाय से संबंधित मुख्य सरकारी योजनाये इस प्रकार है' .

स्माइल योजना– यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। ' स्माइल' का अर्थ "आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन"। इस योजना के तहत केन्द्रीय क्षेत्र में तीसरे लिंग समुदाय के व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री दक्ष योजना– तीसरे लिंग समुदाय के युवा वर्ग को शिक्षा व रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 9वी से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा हेतु ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है।

आयुष्मान योजना के अंतर्गत विशेष लाभ– स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए अब ट्रांसजेंडर को भी इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को लिंग परिवर्तन सम्बंधित सर्जरी का विशेष लाभ भी प्रदान किया गया है।

3. ट्रांसजेंडर संबंधित सरकारी योजनाओं के विज्ञापन– तीसरे लिंग समुदाय को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाये संचालित की जाती है। किन्तु संबंधित योजनायों की जानकारी समाज में किस रूप में पहुंचती है? और

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

समाज संबंधित योजनाओं के प्रति कितना जागरूक है? यह अध्ययन का मुख्य विषय है। चूँकि सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी संचार का होना अति आवश्यक है। अतः ट्रांसजेंडर संबंधित सरकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुचने के लिए भी सरकार द्वारा प्रभावी संचार की रणनीति तैयार की जाती है।

उद्देश्य– प्रस्तुत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को आधार बनाकर कार्य किया जाना है –

1. समाज में ट्रांसजेंडर की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले भेदभाव व उपेक्षाओं के सामाजिक कारणों का पता लगाना।
3. ट्रांसजेंडर से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों की सामाजिक पहुंच व प्रभाव अध्ययन करना।
4. संचालित ट्रांसजेंडर से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता में विज्ञापनों की भूमिका का अध्ययन करना।

महत्व– भारत देश में अच्छी शिक्षा, भोजन व स्वास्थ्य का सभी को सामान्य अधिकार है। संविधान से संवैधानिक रूप में प्राप्त समानता के अधिकार के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर की स्थिति बेहद ही दयनीय है। यही कारण है कि आज भी इस समुदाय को सामाजिक रूप से समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। सरकार अपनी ओर से तमाम योजनाओं का संचालन विभिन्न अभियानों रूप में तीसरे लिंग समुदाय को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से करती है। किंत इन अभियानों का सही रूप में प्रचार–प्रसार होना भी अनिवार्य होता है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक न्याय न मिलने के चलते उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार व आवास जैसी मुलभुत आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु मीडिया के अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित करने एवं विज्ञापनों द्वारा इस तबके के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में यह शोध अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तॉकि ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज में फैली हुई रुढ़िवादी मानसिकता को खत्म कर इस समुदाय के लोगों को भी समानता का अधिकार प्राप्त हो सकें।

परिकल्पना–

1. ट्रांसजेंडर समुदाय आज भी समाज का एक उपेक्षित वर्ग है।
2. सरकारी योजनाए समाज के जरूरतमंद लोगों के विकास व उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. समाज में भेदभाव व कुरीतियों के प्रति सामाजिक जागरूकता स्थापित करने में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4. ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास व उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं संचलित होती है तथा इन योजनाओं के प्रचार–प्रसार में जनमाध्यमों की भूमिका अहम होती है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध विषय के अनुसार ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले भेदभाव व उपेक्षाओं के सामाजिक कारणों का अध्ययन कर संबंधित विषय पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों की सामाजिक पहुंच व प्रभाव के अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग कर किया गया। अध्ययन में प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रश्नावली अनुसूची, अवलोकन, सर्वे, आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। वहीं द्वितीयक स्रोत में शोध जनरल, पुस्तकें एवं पूर्व में किए गए शोध का अध्ययन व शोधगंगा जैसे इंफबैल्ड का प्रयोग, रिकॉर्ड, फिल्म, इवेंट्स, यूट्यूब, टीवी चौनल्स आदि कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया।

परिकल्पना की पुष्टि– परिकल्पना क्रमांक. 1– प्रथम परिकल्पना की पुष्टि का विष्लेशण निम्नानुसार है :–

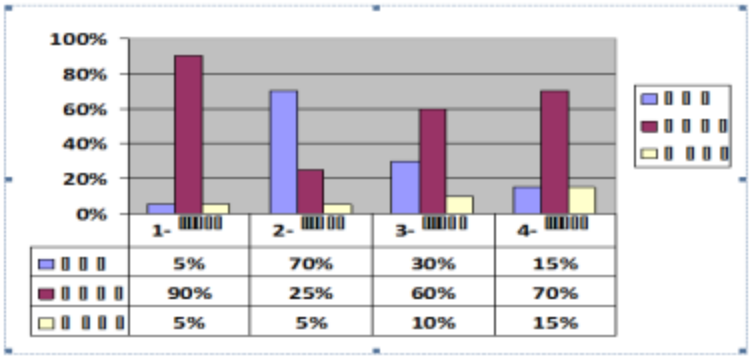

	1-	2-	3-	4-
	5%	70%	30%	15%
	90%	25%	60%	70%
	5%	5%	10%	15%

यह स्पष्ट होता है कि 90% लोगों के अनुसार तीसरे लिंग समुदाय को समाज में आज भी अन्य महिला व पुरुष की तरह सम्मान व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 5% लोगों का मानना है कि तीसरे लिंग समुदाय को समाज में अन्य महिला व पुरुष की तरह सम्मान व अधिकार प्राप्त है। वहीं 5% लोग इस बारे में अन्य मत रखते हैं। 70% लोगों का मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक पहचान केवल नाचने–गाने व भिक्षा मांगने वाले के रूप में ही स्थापित है, तो वही 25% लोग ऐसा नहीं मानते और 5: लोगों का मत कुछ और है। लोगों से जब पूछा गया कि क्या कोई चिकित्सक या इंजिनियर ट्रांसजेंडर होते हैं, तो 30% लोगों ने कहा की होते हैं और 60% लोगों का मानना है कि नहीं होते। वहीं 10% लोग संबंधित जानकारी से अनभिज्ञ है। लोगों से पूछा गया कि क्या ट्रांसजेंडर अपने माता–पिता व पूरे परिवार के साथ एक घर में रहते हैं 70% लोगों का मानना है कि नहीं रहते। वहीं 15: लोग मानते है कि ट्रांसजेंडर अपने परिवार के साथ रहते हैं तथा 15% लोगों की कुछ और राय है।

परिकल्पना–2 की पुष्टि के लिए पूछे गए प्रथम कथन के अनुसार 40% लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं। 10% लोग

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। वही 50% लोग सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ–कुछ जानते हैं। दुसरे कथन के अनुसार 60% लोगों का मानना है कि सरकारी योजनाए समाज के विकास में सहायक हैं। 25% लोग ऐसा नहीं मानते और 15% लोगों का मानना है कि कुछ–कुछ सरकारी योजनाए ही समाज के विकास में सहायक होती है। तीसरे कथन के अनुसार 60% लोग मानते हैं कि सरकारी योजनायें जरुरतमंदों के मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और 10% लोग ऐसा नहीं मानते तो वहीं 30% लोगों का मानना है कि कुछ–कुछ सरकारी योजनाए ही समाज के जरुरतमंदों के मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौथे कथन के अनुसार 50% लोगों का मानना है कि सभी सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का संचालन निरंतर किया जाता है। वहीं 10% लोग ऐसा नहीं मानते तथा 40% लोगों का मानना है की कुछ–कुछ सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का संचालन होता है।

परिकल्पना क्रमांक– परिकल्पना 3 की पुष्टि के लिए प्रथम कथन में पूछे गये प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि 50% लोग विज्ञापन देखते व सुनते हैं। 15% लोग विज्ञापन देखते व सुनते नहीं हैं। वही 35% लोग कभी–कभी विज्ञापन देखते व सुनते हैं। दुसरे कथन के अनुसार 40% लोगों का मानना है कि विज्ञापन समाज में महत्वपूर्ण व उपयोगी होते हैं। 10% लोग ऐसा नहीं मानते और 50% लोगों का मानना है कि कभी–कभी विज्ञापन समाज में महत्वपूर्ण व उपयोगी होते है। तीसरे कथन के अनुसार 70% लोग मानते हैं कि विज्ञापन समाज में सूचना देने व जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 5% लोग ऐसा नहीं मानते तो वहीं 25% लोगों का मानना है कि विज्ञापन समाज में कभी–कभी सूचना व जानकारी देते हैं। चौथे कथन के अनुसार 60% लोगों का मानना है कि विज्ञापन समाज को जागरूक करते हैं। वहीं 10% लोग ऐसा नहीं मानते तथा 30% लोगों का मानना है कि कि विज्ञापन समाज को कभी–कभी जागरूक करते हैं।

परिकल्पना क्रमांक– परिकल्पना 4 की पुष्टि के लिए प्रथम कथन में पूछे गये प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि 45% लोग को लगता है कि पृथक रूप से ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए। 15% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। 40% लोग का मानना है कि थोड़ा–बहुत ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए। दुसरे कथन के अनुसार 40% लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर के लिए संचालित सरकारी योजना के बारे में जानते हैं। 10% लोग नहीं जानते और 50% लोगों का मानना है कि वे थोड़ा–बहुत ही ट्रांसजेंडर के लिए संचालित सरकारी योजना के बारे में जानते है। तीसरे कथन के अनुसार 60% लोग मानते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जनमाध्यमों से प्राप्त होती है। 15% लोग ऐसा नहीं मानते तो वहीं 25% लोगों का मानना है कि ट्रांसजेंडर के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में थोड़ी–बहुत जानकारी ही जनमाध्यमों के द्वारा प्राप्त होती है। चौथे कथन के अनुसार 60% लोगों का मानना है कि विज्ञापन सामाजिक योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। वहीं 10% लोग ऐसा नहीं मानते तथा 30% लोगों का मानना है कि विज्ञापन सामाजिक योजनाओं के प्रचार–प्रसार के थोड़ा–बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

निष्कर्ष– राज्य एवं केंद्र की सरकार सामाजिक विकास व उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन कराती हैं। ताकि समाज के पिछड़े वर्ग, पिछड़े समुदाय व जरूरतमंद लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर समानता का अधिकार प्रदान किया जा सकें। उसी प्रकार सरकार द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के सामाजिक विकास के लिए सरकारी योजनाओं का संचालन विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर जैसे उपेक्षित समुदाय को समाज में अन्य नागरिकों की तरह समानता का अधिकार प्रदान करना, उन्हें भारत के प्रत्येक नागरिकों की तरह संवैधानिक मौलिक अधिकार प्रदान करना व समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्थापित रुढ़िवादी सोच को बदलना है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य सहायता योजना, आवास योजना, रोजगार आरक्षण, शिक्षा से संबंधित योजना जैसी योजनाएं शामिल है। संबंधित योजना व सुविधाओं के माध्यम से केंद्र व राज्य की सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास व उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन सुविधाओं की जानकारियों को प्रत्येक जन व जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रचार–प्रसार के कार्य विभिन्न जनमाध्यम द्वारा किये जाते हैं। इन योजनाओं के संदर्भ में अधिक से अधिक सरकारी विज्ञापन जारी होते है। ट्रांसजेंडर समुदाय में अब अधिकम आत्मविश्वास जागा है और अब इस समुदाय के लोग अलग–अलग क्षेत्रों में बढ़चढ़ कर आगे आने लगे

सुझाव– प्रस्तुत अध्ययन से हमें जो निष्कर्ष प्राप्त हुए है उसके अनुसार पर निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं:–

1. राज्य व केंद्र की सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए योजनाएं संचालित कर रही है किंतु इसके सामाजिक पहुंच व प्रभाव के लिए विशेष ठोस कार्यों की कमी देखने को मिलती है। आवश्यक है कि समय–समय पर संबंधित समुदाय के बीच जाकर उनसे सीधी प्रतिक्रिया की प्राप्ति की जाये तॉकि संचालित योजनाओं के सटीक परिणाम को जाना जा सकें।
2. सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया सरल व सुलभ होनी चाहिए। क्योकि योजनाओं की प्रक्रिया जटिल होने के कारण कभी–कभी पिछड़े व कम पढ़े–लिखे लोग सही समय में योजनाओं का उचित लाभ नहीं ले पते।
3. ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित योजनाओं के बेहतर कार्य देखने को मिल रहे हैं। किंतु आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां पक्षपात, भेदभाव, तृस्कार व सामाजिक बहिष्करण आदि का सामना ट्रांसजेंडर समुदाय को करना ही पड़ता है। अतः सरकार को आवश्यकता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित योजनाओं के साथ–साथ सामाजिक रुढ़िवादी विचारधारा को बदलने के लिए जमीनी स्तर से ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाये।
4. इसके लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक माध्यमों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकती है जैसे कि नुक्कड़ नाटक, चौपाल

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

व रंगमंच जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों में जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है।

5. आज भी ट्रांसजेंडर समुदाय में साक्षरता दर कम देखी जाती है। ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षित करने की दिशा में सरकार को विशेष पहल किया जाना चाहिए। शिक्षित ट्रांसजेंडर स्वयं ही अपने विकास को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. खान, डॉ. एम. फीरोज, थर्ड जेंडरः हिंदी कहानियाँ. प्रथम (2017), अनुसंधान पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपूर।
2. सूर्यवंशी, ग्यानोबाराव डॉ. विमल, थर्ड जेंडरःचर्चित कहानियाँ. प्रथम संस्करण, (2018) रोशनी पब्लिकेशंस, कानपुर।
3. शर्मा, प्रज्ञा. (2011). भारतीय समाज में नारी, पॉइंटर पब्लिशर्स, दिल्ली।
4. चोपड़ा, पी.एन.पुरी, बी.एन.दास, एम.एन. (2005).भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मेकमिलन इंडिया लि.दिल्ली।
5. अंसारी, एम.ए. (2010) महिला व मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर कैथवास, सावित्री (2009). अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आ रही बाधांएः नए पंचायती राज के विशेष सन्दर्भ में ग्रामीण विकास जनवरी–जून।
6. शर्मा, प्रज्ञा (2011). महिला विकास और सशक्तीकरण, आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
7. पटैरिया, शिवअनुरागः छत्तीसगढ़ संदर्भ 2013, छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर।
8. यदु, डॉ.मन्नूलालः छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान, कृष्णसखा प्रेस, रायपुर।

*****